



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032025-261487
CG-DL-E-06032025-261487

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2025/फाल्गुन 15, 1946

No. 1091]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2025/PHALGUNA 15, 1946

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2025

का.आ. 1099(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' (पैन: AAAJT1846R) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड को, उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(क) प्राप्त उपकर;

(ख) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों से प्राप्त/एकत्रित पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क; और

(ग) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' –

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा(4ग) के खंड(छ) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 से संगत निर्धारण वर्षों 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 18 /2025 फा. सं. 196/46/2012-आईटीए-1]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2025

S.O. 1099(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'The Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board' (PAN: AAAJT1846R), a Board established by Government of National Capital Territory of Delhi, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:—

- (a) Cess received;
- (b) Registration & Renewal fee received/collected from the Building and other Construction Workers; and
- (c) Interest on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that The Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board—

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2012-13, 2013-14 and 2014-15 relevant to the financial years 2011-12, 2012-13 and 2013-14.

[Notification No. 18 /2025 F. No. 196/46/2012-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.